वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

No. 4-10(06)/2020-एचआर-।। Dated 04.08.2023

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में

सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक

विषय: सीएसआईआर में पुनर्नियुक्त इमरजन्सी कमिशन्ड ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमिशन्ड ऑफिसर्स के वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदया/महोदय,

सीएसआईआर में पुनर्नियुक्त इमरजन्सी कमिशन्ड ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमिशन्ड ऑफिसर्स के वेतन निधारण के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से स्पष्टीकरण मांगा गया था । डीओपीटी ने सूचित किया है कि सिविल पदों पर पुनर्नियुक्त इमरजन्सी कमिशन्ड ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमिशंड ऑफिसर्स के वेतन निर्धारण के संबंध में अनुदेश डीओपीटी के दिनांक 31.07.1986 के का.ज्ञा. सं. 3/1/85-ईस्ट (पे-।।) के द्वारा जारी केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पुनर्नियुक्त पेंशन भोगियों के वेतन का निर्धारण) आदेशों के पैरा 8 में निहित हैं ।

अत: सीएसआईआर में पुनर्नियुक्त इमरजन्सी कमिशन्ड ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमिशन्ड ऑफिसर्स का वेतन डीओपीटी के दिनांक 31.07.1986 के का. ज्ञा. के पैरा 8 के अनुसार तथा निम्नांकित नियमों एवं शर्तों के अधीन निर्धारित किया जा सकता है:

(i) अधिकारियों ने दिनांक 10.01.1968 के बाद शॉर्ट सर्विस कमिशन में सेवाएं की हों ।
(ii) उन्होंने सिविल पद की अनारक्षित रिक्तियों पर पुनर्नियुक्त होने पर कार्यभार ग्रहण किया हो ।
(iii) सशस्त्र बलों में उनका मूल वेतन जिस सिविल पद में उनकी पुनर्नियुक्ति की गई है उसके न्यूनतम वेतन के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए ।
(iv) पुनर्नियुक्त पद पर उनका वेतन नियतन न्यूनतम वेतन से शुरू करके, सशस्त्र बलों में उनके द्वारा की गई सेवा के पूर्ण वर्षों के बराबर अग्रिम वेतन वृद्धि देने के बाद मिले स्तर पर किया जाए; और
(v) इस प्रकार नियत किया गया वेतन उस अधिकारी द्वारा अंतिम आहरित मूल वेतन से अधिक न हो ।

यह स्पष्टीकरण सूचना, अनुपालन एवं मार्गदर्शन हेतु महानिदेशक, सीएसआईआर के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

भवदीया,

(पूर्णिमा अरोड़ा)
अवर सचिव

प्रतिलिपि

1. प्रमुख (IT) इस अनुरोध के साथ कि इसे सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड करे।
2. कार्यालय प्रति।